क्रम संख्या–111 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 ई0

आश्विन 02, 1943 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 264/XXXVI (3)/2021/55(1)/2021

देहरादून, 24 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक, 2021'** पर दिनांक 22 सितम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 24 वर्ष, 2021** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) अधिनियम, 2021

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24, वर्ष 2021)

उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018 में संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत रूप में यह अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का नाम उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) इसका विस्तार राज्य के समस्त नगर निकायों/ प्राधिकरणों पर होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

धारा 4 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018 की धारा 4 में "03 वर्ष" शब्द और अंकों के स्थान पर, जहां–जहां वे आते हैं, "06 वर्ष " शब्द और अंक रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य सरकार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्ययवस्थापन हेतु प्रतिबद्ध है, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा "उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018" अधिनियमित किया गया है।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 में अपेक्षित संशोधन किये जाने के उद्देश्य से 'उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) अधिनियम, 2021' को अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है।

2— प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

बंशीधर भगत
मंत्री।